न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 17/2023

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
1. ओमप्रकाश पुत्र रिडमलराम 2. छोगाराम पुत्र रिडमलराम 3. कानाराम पुत्र कलाराम 4. खंगारराम पुत्र भागचन्दराम 5. वीराराम दत्तक पुत्र भारताराम 6. सुवटी पत्नी रिडमलराम जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		ग्राम पंचायत मौखावा खुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मौखावा खुर्द

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 251 (सुखाचार) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.04.2023 जो प्रकरण सं. 03/2023 मे तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता सूचना बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 07.01.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (सुखाचार) के अन्तर्गत तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण सं. 03/2023 ग्राम पंचायत मौखाब खुर्द बनाम ओमप्रकाश व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 13.04.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य ... है कि सरपंच ग्राम पंचायत मौखावा खुर्द द्वारा तहसीलदार गुड़ामाल... के समक्ष एक रिपोर्ट ... कर निवेदन किया कि मौजा मौखावा खुर्द के खसरा नम्बर **379/55** रकबा **0.**

जिला कलक्टर
बाड़मेर

1073 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो गुड़ामालानी बाड़मेर डामर सड़क से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालू की ढाणी मौखावा खुर्द व नई खडाली तक चलायमान कदीमी रास्ते को गैर सायल **ओमप्रकाश छोगाराम पि. रिड़मलराम, सुवटी पत्नी रिड़मलराम, कानाराम पुत्र कलाराम, खंगाराराम पुत्र भागचंदराम, वीराराम दत्तक पुत्र भारताराम कौम विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द** द्वारा अवरूद्व व कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हलका पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायलान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **13.04.2023** के द्वारा **आम रास्ता सुखाचार हेतु खुलवाये जाने** का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर धारा 251 (सुखाचार) के तहत जवाब हेतु नोटिस जारी किया तथा पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक **25.08.2022** को नियत की गई। अपीलांट की ओर से नियत दिनांक को अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु अवसर चाहा गया। अपीलांट ने दिनांक 13.04.2023 को जवाबमय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर मे दर्ज प्रकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

408/2022 छोगाराम वगैरह बनाम राज्य वगैरह का निर्णय दिनांक 05.08.2022 को अपील स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बंद नहीं करने के निर्देश दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसके पश्चात विधिवत कार्यवाही नहीं करते हुए उक्त प्रकरण मे उसी दिन आदेश पारित कर दिया गया जबकि विधिनुसार प्रार्थी के आवेदन एवं विप्रार्थीगण के जवाबदावे के बाद दोनो पक्षों की साक्ष्य सबुत लेनी चाहिए थी। उसके पश्चात ही उक्त प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय पारित किया जाना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिद्वान्तों का उल्लघंन करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के ही दिन उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत व हल्का पटवारी द्वारा जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है वह एकतरफा व मौके के विपरीत जाकर प्रस्तुत किया जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2023 को अपास्त फरमाया जावे।

5. हमनें अपीलांट के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रकट तथ्यों एवं तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर मे दर्ज प्रकरण संख्या 408/2022 छोगाराम वगैरह बनाम राज्य वगैरह का निर्णय दिनांक 05.08.2022 को अपील स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बंद नहीं करने के निर्देश दिये गये है। उक्त प्रकरण उपखण्ड कार्यालय गुड़ामालानी में दर्ज किया जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु विचाराधीन है। अपीलाधीन कार्यवाही में इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

समस्त तथ्यों की जांच एवं साक्ष्यों को अभिलेख पर लिए जाने के उपरान्त समुचित निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार अपीलांट के विरुद्ध कदीमी रास्ते पर अतिक्रमण का तथ्य उपलब्ध साक्ष्यों से ठोस रूप से प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के स्वामित्व दस्तावेजों एवं विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 03/2023 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.04.2023 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधुपर द्वारा विवादित भूमि के बाबत पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में विधिपूर्ण विवेचन उपरान्त प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक **07.01.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested